



दुमका समाहरणालय
जिला भू-अर्जन कार्यालय
लोक सुनवाई हेतु
—:आम सूचना:—

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि The Right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा-04 अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी निर्माण परियोजना हेतु अंचल दुमका में अधिगृहित की जाने वाली भूमि जिसके लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। नवदृष्टि अरगोड़ा, राँची के द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण को समुचित जगह पर प्रकाशित किया जा चुका है।

उपरोक्त अधिनियम के धारा-05 अन्तर्गत सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के प्रतिवेदन हेतु लोक सुनवाई किया जाना है। निम्नलिखित स्थान/विवरण एवं समय के अनुसार लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है:-

क्र०	अंचल का नाम	संबंधित ग्राम का नाम	लोक सुनवाई हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	लोक सुनवाई का स्थल	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित समय
1	दुमका	बेहराबाँक न०-13	1. अनुमण्डल पदाधिकारी, —सह— जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका।	प्रखण्ड मुख्यालय, दुमका	22.07.2017	पूर्वाह्न 11.00 बजे
2		रामपुरन०-15	2. अंचल अधिकारी, दुमका। 3. कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड प्रमण्डल, दुमका कैंप राँची।			

प्रभावित संबंधित ग्राम के अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों से अनुरोध है कि उक्त लोक सुनवाई में उपस्थित होकर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे।

ह०/—
(मुकेश कुमार)
उपायुक्त,
दुमका।